घीसी पुत्री कूका पत्नि छीतर जाति रेगर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............प्रार्थीया

<u>बनाम</u>

1. भंवरलाल पुत्र कूका जाति रेगर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. कालू पुत्र कस्तुरा जाति रेगर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा **(मृतक)**:–
   2.1 राजू पुत्र स्व0 कालू रेगर ना0ब0बि0 माता संतोष जाति रेगर निवासी बिजौलियां
   2.2 पिन्टू पुत्र .स्व0 कालू रेगर ना0ब0बि0 माता संतोष जाति रेगर निवासी बिजौलियां
   2.3 संतोष पत्नि स्व0 कालू रेगर निवासी बिजौलियां
3. जमनी पुत्री कूका पत्नि खाना जाति रेगर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी हाल तिलस्वा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. बरजी पुत्री कूका पत्नि पन्ना जाति रेगर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. शम्भूलाल पुत्र हजारी जाति रेगर उम्र बालिग निवासी केरखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री मुकेश कुमार धाकड अधि0वादी
श्री जगदीशचन्द्र धाकड अधि0प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 रा0टि0एक्ट0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट0

दिनांक 28.06.2018

:–निर्णय:–

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीया ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिजौलियां में स्व0 कूका पुत्र धुला की खातेदारी मे दर्ज अभिलेख रही पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि जो उनके बाप दादाओं की होकर मौजा बिजौलियां कला में स्थित थी। उसका विवरण प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आ0नं0 176 , 178, 441/1, 442/1, 563/3 किता 5 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा इसके अतिरिक्त एक अन्य खाता इसी ग्राम में स्थित हो उसका कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा है। उसने प्रार्थी अपने अधिकार होते हुये भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया स्व0 कूका की जायन्दा पुत्री शान्ति की पुत्री है। इसलिये प्रार्थीया को स्व0 कूकाजी के पुत्रों एंव पुत्रीयो की तरह वादग्रस्त जायदाद में बराबर हक हिस्सा पाने का हक अधिकार है। क्योकि प्रार्थीया कूकाजी के मृतक पुत्री की पुत्री है। कूकाजी के उत्तराधिकारीयो की बिना जानकारी किये कूका के तीन पुत्र व दो पुत्रीया बताकर नामान्तरकरण खोल दिया जबकि स्व0 कूका की जायन्दा पुत्री शान्ति का नाम अकारण विलोपित करते हुये जो नामान्तरकरण खोला गया है वो अवैध व शुन्य प्रभावी है। विपक्षी सं0 1 से 6 को प्रार्थीया ने अपना नाम खाते में जुडवाने की कहा तो इंकार हो गये। विपक्षी के नाम भूमि दर्ज होने से विपक्षीगण भूमि विक्रय करने पर उतारु है अतः विपक्षीगण क्रमांक 1 से 6 तक को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अभिलेखो में कोई अन्तरण नही करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

विपक्षीगण क्रमांक 1, 3, 4, 5 की और से श्री जगदीशचन्द्र धाकड अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र मूल वाद प्रकरण में प्रस्तुत किया। विपक्षीगण अधिवक्ता को जवाब हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये किन्तु जवाब प्रस्तुत नही किया। सिधी बहस करने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी व विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी की बहस सूनी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तरकरण सं0 1460 ग्राम बिजौलियां कला की प्रति नकल जमाबंदी सम्वत् 2055 से 58, और नकल विकय पत्र आ0नं0 176, 178, नकल जमाबंदी चालू की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रांवली में सलग्न जमाबंदी ग्राम बिजौलियां कला सम्वत् 2067 से 70 के खाता सं0 308 पर आ0नं0 176, 178, 441/1, 442/1, 563/3 किता 5 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि विपक्षीगण भवंरलाल,जमनी, श्रीराम, बरजी पिता कूका, कालू पिता कस्तुरा रेगर के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में भूमि का टाईटल विपक्षीगण के नाम है। जब भूमि का टाईटल विपक्षीगण के नाम है तो भूमि कब्जा भी विपक्षीगण का माना जायेगा। भूमि विपक्षी के नाम दर्ज होने से यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो विपक्षी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीया कूका की जायन्दा पुत्री है या नही यह तथ्य मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य से ही स्पष्ट होगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 इस स्टेज पर खारीज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.06.2018 को मुकाम बिजौलियां कला पर लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

28/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(कैम्प बिजौलियां कला)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत अभियान
उपखण्ड बिजौलियां